

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, इन्दौर केम्प

140

निगरानी प्रकरण क्रमांक / पी.बी.आर. / 17

PBR/निगरानी/खरगोदा/झज्जा/२०१७/४०३९

१ रामकरण पिता गेंदालाल कुशवाह
२६/०१/२०१८

- 1 शिवनारायण पिता गेंदालाल कुशवाह
- 2 कन्हैयालाल पिता गेंदालाल कुशवाह
- 3 पंचानन पिता गेंदालाल कुशवाह
- 4 सुमनाबाई पिता गेंदालाल कुशवाह
- 5 सकुबाई पिता गेंदालाल कुशवाह
- 6 रीमाबाई पति शिवनारायण
- 7 रीमाबाई पति कन्हैयालाल
- 8 लक्ष्मीबाई पति पंचानन
- 9 कलाबाई पति रामकरण

सभी निवासी :— ग्राम मेनगाँव, तहसील खरगोन

.. निगरानीकर्तार्गण

विरुद्ध

- 1 प्रेमचन्द्र पिता किशन साठे
- 2 सन्तोष पिता प्रेमचन्द्र साठे
- 3 गुलाब चन्द्र पिता किशन साठे
- 4 गंगाधर पिता शंकर जोशी
- 5 रामु पिता गोपाल वर्मा
- 6 जगदीश पिता गोपाल वर्मा
- 7 दिनेश पिता कैलाश
- 8 विनोद पिता गोपाल वर्मा

सभी निवासी :— ग्राम मेनगाँव, तहसील खरगोन

..... प्रत्यर्थीगण

[Signature]

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भु—राजस्व संहिता
के तहत

निगरानीकर्ता तर्फ सादर निवेदन है कि :-

निगरानीकर्तागण द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय खरगोन द्वारा रास्ते के विवाद में विधि विपरित तरिके से, सिमांकन का प्रकरण दर्ज किये बगैर, मात्र मंत्री महोदय को संबोधित रास्ते कि शिकायत के आवेदन पत्र से, अपने कलेक्टर कार्यालय, जिला खरगोन के आदेश कमांक / 1349 / भु अभि-8 / 17 दिनांक 27 / 7 / 17 से किसी भुमि का हवाला दिये बगैर सिमांकन का आदेश दिया गया, जिसके प्रकाश में सिमांकन दल द्वारा दिनांक 13 / 9 / 17 को निगरानीकर्ता और अन्य पड़ोसी भुमिस्वामीयों को सिमांकन कि सुचना दिये बगैर उनकी अनुपस्थिती में सिमांकन कि कार्यवाही कर दिनांक 19 / 9 / 17 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता और उनके परिवार वालों की भुमि को कम कर शासकिय भुमि बताते हुए, प्रत्यार्थीगण को नवीन रास्ता दिला दिया है।

जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित निगरानीकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बगैर उसकी अनुपस्थिती में विवादित सीमांकन की कार्यवाही कर दी गई,

अतः ऐसा आदेश प्रवर्त रहता है तो निगरानीकर्ता को अपरिमित हानि होगी व न्याय की विफलता होगी व निगरानीकर्ता को अपूर्णीय क्षति होगी।

प्रबंध नं०/२१/१०) २२.११.२०१७) ४०३९

स्थान तथा दिनांक	२१ महीने / प्रभंध कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारकों आदि के हस्ताक्षर
२२.११.२०१७	<p>आवेदकगांव की ओर से एक मुद्रा लगे आवेदक उपलेख प्राप्ति पा दुना गया। आवेदक के आवेदक द्वारा एक जानकारी एवं प्रतिक्रिया के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उनकी भावी से रास्ता दिये जाने की ओर उसी प्रक्रिया कार्यवाही कर्वकर कारा की जा रही है। इसी या प्रशासनीय कार्यवाही है, अतः आवेदक द्वारा इसे आवेदक अपना पक्ष क्षेत्र के लक्ष्य प्रस्तुत करें। इस किंतु मेरी वाचा इस प्राप्ति आवेदक विवार हेतु कर्वकर की भवति जाए। आवेदकगांव दिनांक २०.१२.२०१७ को कर्वकर के समझ उपलेख है।</p> <p style="text-align: right;">अधिकारी</p>	